



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्र. ३०२३ / अका. / 2015

रायपुर, दिनांक ॥ / 03/2015

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.01.2015 में लिए गए निर्णय का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.02.2015 में किया गया है जो निम्नांकित है:-

01. (a) अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को यू.जी.सी. के छठवें वेतनमान अथवा कम से कम शासन द्वारा समय-समय पर संविदा शिक्षकों को देय वेतनमान के अनुसार वेतन प्रदान करना अनिवार्य है।
 (b) वेतन बैंकों के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य है।
 (c) प्रत्येक तीन माह बैंक से प्रदान किए गए वेतन की जानकारी विश्वविद्यालय को दिया जावे।
 (d) उपरोक्त कंडिका 1(a) के अनुसार कम वेतन दिए जाने की शिकायत प्राप्त होने के फलस्वरूप जांचोपरांत शिकायत सही होने पर संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
02. बी.एड. संचालित महाविद्यालयों को 2015-16 के लिए संबद्धता आदेश, बी.एड. में शिक्षकों की नियुक्ति पश्चात् जारी किया जाएगा।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में संबंधित महाविद्यालयों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्र. ३०२४ / अका. / 2015
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक ॥ / 03/2015

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी, 30 द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
02. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.), मानस भवन, ईयामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) – 462002,
03. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) शंकर नगर, रायपुर, को बिंदू क्रमांक 2 हेतु सूचनार्थ।
04. प्राचार्य/संचालक, संबद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
05. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
06. समस्त विभागीय अधिकारी,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

} पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि.
रायपुर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही
हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)
